UP: आलू के बीच छिपाया 10 हजार किलो नकली तंबाकू, दिल्ली से साउथ इंडिया पहुंचने की थी तैयारी

उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने 10 हजार किलो नकली तंबाकू जब्त की है. इसकी बाजार में कीमत करीब दो करोड़ रुपये आंकी जा रही है. यह सफलता थाना सेक्टर 126 पुलिस और QRT की संयुक्त टीम की कार्रवाई के दौरान हाथ लगी है. बताया जा रहा है कि दिल्ली में तैयार की हुई नकली तंबाकू को भारत में सप्लाई किया जाता था. लोकसभा चुनाव को लेकर नोएडा पुलिस एक्टिव मोड में है. पुलिस अलग-अलग टीम के साथ शहर के मुख्य चौक-चौराहों पर दिन और रात में चेकिंग अभियान चला रही है. चुनाव में शराब और नशीले पदार्थों की सप्लाई इसके अलावा कैश का बड़े पैमाने पर हेर-फेर होता रहता है. ऐसे में पुलिस आने-जाने वाले सभी वाहनों के चेकिंग कर रही है.

इस बीच मिले खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने आलू से भरे एक ट्रक को पकड़ा. इसकी जांच करने पर पुलिस को करीबन 10 हजार किलो नकली तंबाकू बरामद हुआ. ट्रक में पहले आलू भरा हुआ था, उसके बाद पीछे तंबाकू के बोरियां रखी थीं. उसमें लगभग 10 हजार किलो तंबाकू था. इसकी बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार डीसीपी क्राइम गौतमबुद्ध नगर शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पुलिस ने ट्रक के साथ चल रहे एक गाड़ी को भी पकड़ा, जो इस ट्रक को नेविगेट कर रही थी. पुलिस ने इस पूरे नेक्सेस के मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोग दिल्ली के वजीराबाद में केमिकल की जगह चूने का इस्तेमाल कर के नकली तंबाकू तैयार करते थे. इसके बाद कर्नाटक की मशहूर तंबाकू कंपनी 'हंस' के रैपर में इनको पैक करते थे. इस तरह नकली तंबाकू के पैकेट को तैयार करके आलू के बोरियों के साथ ट्रक में रखकर कर्नाटक और केरला सप्लाई करते थे. ये उन जगहों पर नकली तंबाकू की सप्लाई करते थे, जहां तंबाकू पर बैन होता था. इसके चलते वे मार्केट रेट से भी महंगे दाम पर नकली माल बेचते थे. डीसीपी क्राइम गौतमबुद्ध नगर शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पुलिस ने तंबाकू कंपनी 'हंस' से भी बात की है. कंपनी के ओर से भी आरोपियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है. मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है.

Source: https://www.aajtak.in/uttar-pradesh/story/noida-police-caught-10-thousand-kg-of-fake-tobacco-prepared-in-delhi-and-supplied-in-south-india-lcls-1914812-2024-04-09